कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक– 329 /1सी0 (वन) दिनांक 19/02/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– **प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/19786/2016 राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 14.2.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर आपत्तियॉ लगाई गई है, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रेषित की जा रही हैः–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	In prespect of EDS point No. 1, FRA issued by by commissioner was required to be submitted in original in hard copy as well as online. However no action has been taken on the point.	एफ0आर0ए0 निर्धारित प्रारूप मे मूल में प्रस्ताव कि हार्डकापी के साथ आपके पत्रांक सं0 5866/12–1 दिनांक 27.6.2017 द्वारा वन संरक्षक गढवाल वृत्त, पौडी को प्रेषित किया गया है। संलग्न 1– पत्र एवं पत्र प्राप्ति की छायाप्रति। पेंज (2 एवं 3)
2	In response to Point No. 2 of EDS, Village level proceedings of Gram Sabha Langasu has been uploaded. Attendance of Villages Langasu-Niwari, Khet, Silangi have been found uploaded but proceedings of VLC meetings of three villages are not found.	Proceedings of VLC of Langasu - Niwari, Khet, Silangi के प्रपत्र Sl No. K at Part I. में अपलोड कर दिये गये है। संलग्न– लंगासू–निवाणी, खेत एवं सिलंगी के वी0एल0सी0 प्रमाण पत्र मूल में। (पेज नं0 (4 से 6)
3	Employment data has not been corrected for Point No. 3 of EDS.	पार्ट–1 के बिन्दु संख्या E में employment data संशोधित कर दिया गया है।
4	For Point No 4 of the EDS, CA scheme still shows an estimate of of Rs. 6,81.683/- which has not been corrected.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
5	In response to Point No. 7 of EDS, it is found that number of trees still shows as 230 online at Part II.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
6	In response to EDS Point No. 8, recommendations of DFO uploaded at Part 15 online does not mention whether the case has been recommended by DFO at Sl No. 13 of part II document uploaded.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

19/02/18

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

19.2.2018

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक– /1सी0 (वन)

दिनांक 17/8 /2017

सेवा में,

अपर प्रमुख, वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड

देहरादून।

विषयः– प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/19786/2016 लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक सं0 395/FP/UK/ROAD/19786/2016 दिनांक 02.8.2017 एवं 2009 दिनांक 16.2.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो के क्रम मे अवगत कराना है कि आपके पत्रांक सं0 2009 दिनांक 16.02.2017 द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक स0 804/1सी0 वन दिनांक 21.06.2017 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभग गोपेश्वर को प्रेषित की जा चुकी है। वांछित सूचना प्रस्ताव की मूल प्रते सहित प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभग गोपेश्वर ने अपने पत्र स0 5866 /12–1 दिनांक 27.06.2017 द्वारा वन संरक्षक गढवाल वृत्त, पौडी को प्रेषित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही वन संरक्षक स्तर से की जानी है।

संलग्न– पत्रांक सं0 804/1सी0 वन दिनांक 21.06.2017

एवं पत्रांक स0 5866/12–1 दिनांक 27.06.2017

की पत्र प्राप्ति रसीद 2 नं0। पत्र प्राप्ति रसीद।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0

गौचर (चमोली)

पत्रांक–1105 /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से भी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता चतुर्थ अ0ख0लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/17

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0

गौचर (चमोली)

Division: E.E. P.W.D. Gauchar
Sub-division A.E. II
Month June 2017.......

सेवा में,

कमान अधिकारी
66 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ)

सेवा में,

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड
पौड़ी

(1)- पत्रांक सं० 5866/12-1
सं०- मूल कापी एवं CD
(लंगासू - निर्माण - रैन्त - सिलंगी)

(2)- पत्रांक सं० 5868/12-1
अ०- मूल कापी एवं CD
(रुद्रप्रयाग - गैरसैंण मार्ग से केदारकोट)

Sd/- 03-07-17
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड
पौड़ी गढ़वाल

में,

विजेन्द्र सिंह

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– लंगासू–निवाड़ी
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **लंगासू–निवाडी** द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **लंगासू–निवाडी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लंगासू
हस्ताक्षर
दिनांक
विकास खण्ड कर्णप्रयाग चमोली

ह0/– ग्रा0पं0वि0अ0 लंगासू
ग्राम सचिव

ह0/
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– सिलंगी
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **सिलंगी** द्वारा दिनांक 3-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिलंगी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव
जे0एम0 नगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/– ग्राम प्रधान
सिलंगी
दीपा देवी
14/2/18

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– खेत
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **खेत** द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **खेत** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्रा0एम0 नगवाल
ग्राम सचिव ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत खेत
ह0 Rajesh
दि0 ....
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)